I

बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर

बी.वि / बोम–2 / 2005 / 9

गत बैठक की कार्यवाही विवरण एवं पालना प्रतिवेदन की पुष्टि।

3 अप्रैल 2005

दिनांक 7 जनवरी, 2005 को प्रातः 11.30 बजे बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवृत।

1. प्रो. होशियार सिंह — अध्यक्ष
2. श्री एम.डी. काबरा (विशेषाधिकारी प्रमुख शासन सचिव के प्रतिनिधि के रूप में) — सदस्य
3. श्री ओ.पी. महेन्द्रा, विधायक — सदस्य
4. श्री बी.पी. सारस्वत — सदस्य
5. श्री डी.सी जैन — सदस्य
6. श्री एम.एल. शर्मा — सदस्य
7. श्री बलदेव सिंह आर्य — सदस्य
8. डा. छित्तरमल कटारिया — सदस्य
9. श्री बी.एस. आर्य — सदस्य
10. डा. पी.सी. तातेड़, कुलसचिव — सदस्य

प्रमुख शासन सचिव, वित्त, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, श्री के.एल. जैन, श्री अशोक अग्रवाल, श्री जीतराम, विधायक (मालुपरा) एवं श्री के.एस. बीका वित्त नियंत्रक ने बैठक में भाग नहीं लिया।

बैठक के प्ररम्भ में कुलपति ने सभी सदस्यों से व्यक्तिशः परिचय किया और प्रथम बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया और विश्वविद्यालय की सेवाओं में सराहनीय योगदान की अपेक्षा जताई और इसके पश्चात प्रबन्ध मण्डल की औपचारिक बैठक प्रारम्भ की गई।

बैठक में कार्य सूची के अनुसार क्रमवार बिन्दुओं पर विचार विमर्श हुआ।

बी.वि. / बोम–1 / 2005–1 / 01

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.21(3)शिक्षा–4 / 2004 दिनांक 28.10.2004 के द्वारा जो समिति का गठन किया गया है उसके तहत जिन कर्मचारियों ने 12 वर्ष या उससे अधिक का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो को नियमानुसार रेग्युलर लाईन में उच्च पद पर पदौन्नति देने पर विचार करने बाबत।

उक्त समिति में राज्य सरकार के आदेश के तहत बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रबन्ध मण्डल द्वारा मनोनीत सदस्य पर विचार कर पारित किया गया कि डॉ. धर्मचन्द उक्त समिति में प्रबन्ध मण्डल के मनोनीत सदस्य होंगे।

बी.वि. / बोम–1 / 2005–1 / 02

बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए आवंटित 50 पदों के बारे में विचार करने बाबत।

विश्वविद्यालय की विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये और म.द.स विश्वविद्यालय, अजमेर से आने वाले कर्मचारियों और कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों की परिस्थितियों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि बीकानेर विश्वविद्यालय के अनुभाग अधिकारियों की Lien अवधि बढ़ाने के लिए म.द.स विश्वविद्यालय, अजमेर को सूचित करें और इस बीच में इन्हें विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियमानुसार समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जावें।

बी.वि. / बोम–1 / 2005–1 / 03

बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रबन्ध मण्डल में विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक व परीक्षा नियंत्रक को स्थाई आमंत्रित सदस्य अधिकृत करने पर विचार विमर्श।

विचार विमर्श के पश्चात पारित किया गया कि वित्त नियंत्रक व परीक्षा नियंत्रक को आमंत्रित सदस्य के रूप में अधिकृत तौर पर प्रत्येक बैठक में बुलाया जायेगा।

बी.वि. / बोम–1 / 2005–1 / 04

बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए आवंटित भूमि पर कार्यालय भवन के निर्माण पर विचार विमर्श।

माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों को अवगत करवाया कि जैसलमेर मार्ग पर आवंटित भूमि पर कार्यालय भवन निर्माण हेतु 25 लाख की राशि राज्य सरकार द्वारा

स्वीकृत की जा चुकी है और निकट भविष्य में 25 लाख की राशि प्राप्त होने वाली है। यह राशि मार्च, 2005 तक निर्माण कार्य पर खर्च की जानी है। साथ ही सदस्यों ने उक्त कार्य के लिए माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद पारित किया और निवेदन किया कि निर्माण कार्य विश्वविद्यालय की देखरेख में ही होना चाहिए।

बी.वि./बोम–1/2005–1/05

बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर की परीक्षा संचालन में अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि/पुनःनिर्धारण के संबंध में।

विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय पारित किया गया कि वर्ष 2006 में परीक्षा शुल्क की दरों में विश्वविद्यालय द्वारा पुनःनिर्धारण किये जाने पर मानदेय में वृद्धि पर पुनर्विचार किया जाएगा व राज्य में अवस्थित अन्य विश्वविद्यालयों के अनुरूप ही विभिन्न कार्यों के लिए मानदेय दिया जाएगा। बैठक में डा. एम.एल. शर्मा का प्रस्ताव पारित किया गया कि परीक्षा–2005 में विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में कमी कर दिये जाने से उत्पन्न आय की कमी पूर्ति हेतु अनुदान के लिए राज्य सरकार को लिखा जाए।

बी.वि./बोम–1/2005–1/06

बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर की परीक्षा 2006 के शुल्क के संबंध में।

परीक्षा–2006 के लिए परीक्षा शुल्क में वृद्धि या पुनर्निर्धारण अन्य विश्वविद्यालयों के अनुरूप अथवा समन्वय समिति द्वारा समान फीस संरचना के संबंध में प्राप्त निर्देशों के अनुसार किया जाना पारित किया गया।

बी.वि./बोम–1/2005–1/07

कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की अनुशंषा करने बाबत।

कुलपति द्वारा जारी आदेशों को पारित किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति सेः–

1. डा. धर्मचन्द ने महाविद्यालयों को स्थाई संबंद्धता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव रखा जिसे अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन किया गया कि जो महाविद्यालय स्थाई संबंद्धता की शर्ते पूर्ण कर रहे हैं वही संबंद्धता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

2. प्रबन्ध मण्डल द्वारा पारित किया गया कि पंजीकृत शोधार्थियों से 100/– रू. प्रतिमाह (2साल तक) शुल्क लिया जाएगा।

आसन के प्रति धन्यवाद पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(डॉ. पी.सी. तातेड़)

कुलसचिव